तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/10/25	प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस को सुना गया। तहसीलदार गि.उ. से प्राप्त मौका रिपोर्ट व संलग्न परिशिष्ट-ब तथा प्रार्थी के आवेदन को गहनता से अवलोकन बाद प्रार्थी का आवेदन व तहसीलदार गि.उ. की मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार गि.उ. से प्राप्त मौका रिपोर्ट व संलग्न परिशिष्ट-ब निर्णय/आदेश का अभिन्न अंग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर उचित नम्बर से जमा हो, दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kaljit Shivran
Date: 2026.02.10 21:17:58 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या–371/2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थी**
1. इन्द्रदान पुत्र बुधदान 2. विशनदान पुत्र बुधदान जाति चारण निवासी पाबोलाई, खारापार तहसील गिड़ा जिला बालोतरा।		1. जसुदान पुत्र भोपदान 2. रामू कंवर पत्नि जसुदान 3. अमान कंवर पत्नि हेतूदान 4. हेतुदान पुत्र हमीरदान जाति चारण निवासी खारापार, गिड़ा 5. खम्मा देवी पत्नि रामाराम जाति दर्जी निवासी खारापार, गिड़ा। 6. तहसीलदार गिड़ा।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश

दिनांक :–18.11.2025

उपस्थिति :– 1. अधिवक्ता श्री रिणछाराम प्रार्थीगण की ओर से

प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग ने एक प्रार्थना पत्र [illegible] धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है [illegible] प्रार्थी[illegible] की खातेदारी की भूमि मौजा पाबोलाई पटवार हल्का खारापार तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत [illegible] 304/1 रकबा 3.8850 हैक्टेयर की आई हुई है। उक्त मूल खसरा नम्बर [illegible] पुर्व मे राजस्व वाद वास्ते बंटवाड़ा बअनवान जसुदान बनाम हेतूदान में निर्णय दिनांक 17.08.1994 क[illegible]री अन्तिम डिक्री मय नक्शे में जो विभाजन किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार तरमीन नही कर ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड में सेग्रीगेशन करते समय तरमीम करते समय जहां मौका कब्जा काश्त है वहां से भिन्न स्थान पर कर दी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 21:17:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

गई। लेकिन लट्ठा ट्रेश व भु नक्शा में तरमीम करते समय रकबे अनुसार व कब्जे अनुसार न करके अलग कर दी गई। अत : तरमीम दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, तहसीलदार, गिड़ा से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

तहसीलदार, गिड़ा द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ब व वर्तमान कब्जा अनुसार तरमीम शुद्व करने की अनुशंषा की गई है।

हमने राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा पाबोलाई पटवार हल्का खारापार तहसील गिड़ा जिला बालोतरा के खेत खसरा नम्बरान् 104/1 रकबा 3.8850 हैक्टेयर की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ब व वर्तमान् कब्जे के अनुसार तरमीम शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ब आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार गिड़ा आदेशानुसार तरमीम दुरस्त करें।

आदेश आज दिनांक 18.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2026.02.10 21:17:58 IST
Reason: SelfAttested

131,136